# राजस्थान सरकार
## निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2020/ 16131 दिनांकः 19.3.20

परियोजना निदेशक,
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

**विषयः**–मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों की सूचना भिजवाने बाबत्।

**संदर्भः**–1. मुख्यमंत्री कार्यालय का अशाटीप संख्या मु.म./वि.स.(एडीएच)/एलएसजी/2020/2817 दिनांक 02.03.2020 के क्रम में।
2. यू. ओ. नोट क्रमांक एफ.28()/सां./डीएलबी/सीएमआईएस/2019–2020/5289–93 दिनांक 12.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि 74वे संविधान संशोधन व राज्य मंत्रीमण्डल की आज्ञा सं. 204/2012 दिनांक 04.10.2012 के अनुसार संचालित शहरी जल प्रदाय योजना की नगरीय निकाय, नोखा को हस्तानान्तरित एवं संधारण का कार्य राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के अंतर्गत किया गया।

नगरीय पेयजल योजनाओं के सफल संचालन एवं संधारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष (2012–13 से 2017–18 तक) पर्याप्त संसाधन एवं धन राशि उपलब्ध कराये गये। विगत वर्षो के दौरान पेयजल योजनाओं के संधारण हेतु आवश्यक घटक यथा श्रम, सामग्री, ईधन, विद्युत खर्च, वेतन, परिवहन इत्यादि पर होने वाले व्यय में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिये आय के मुख्य स्त्रोत जल राजस्व की दरों में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है तथा दरें लगभग स्थिर रही है। परिणामस्वरूप नगरीय निकायों द्वारा इन पेयजल योजनाओं को जल राजस्व से प्राप्त आय से संचालित एवं संधारित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः नोखा नगरीय निकाय पेयजल योजना के संचालन एवं संधारण करने में अपने स्तर पर पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। नगरीय निकाय नोखा द्वारा योजना को सफल बनाने हेतु बकाया राजस्व की 100% प्राप्ति एवं गैर–राजस्व जल में कमी तथा विद्युत शुल्क की पूर्ति हेतु जल टैरिफ में वृद्धि के प्रयास नहीं किये गये, जिससे जल राजस्व से प्राप्त आय संचालन एवं संधारण पर व्यय की तुलना में बहुत कम रहने के कारण पेयजल योजना के संचालन एवं संधारण में कठिनाई आ रही है। नोखा नगर निकाय द्वारा बिजली/विद्युत बिल राशि रू. 7.96 करोड़ का भुगतान डिस्कॉम को किया जाना शेष है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में वित्त विभाग द्वारा कोई अनुदान राशि का आवंटन नहीं किया गया। विभाग द्वारा समय–समय पर बजट प्रावधानुसार राशि जारी करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते रहे है। चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत आयोजना एवं गैर–आयोजना मद में क्रमशः राशि रू. 6.34 करोड़ एवं रू. 24.42 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है, जिसे जारी करने हेतु वित्त विभाग के निर्देश " **प्रथम विकल्प–पांच वर्षों के बाद भी सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में मंत्रीमण्डल आज्ञा प्राप्त की जाये अथवा द्वितीय विकल्प के तहत आठ शहरों की पेयजल योजना पुनः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तानान्तरित की जाने बाबत् मंत्रीमण्डल से आज्ञा प्राप्त करें** ", के संबंध में विभाग द्वारा **द्वितीय विकल्प** के अनुसार मंत्रिमण्डल ज्ञापन तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किया गया है, निर्णय के पश्चात् विभाग द्वारा तदनुसार उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा सकेगी।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2020/ 16132–16135 दिनांकः 19.3.20

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. श्री राजकुमार सिंघल, अधिशाषी अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

आज ही

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

## यू.ओ.नोट

विषयः– मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रो की सूचना भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में मूल पत्र सलंग्न कर निवेदन है कि उक्त प्रकरणों मे आवश्यक कार्यवाही करवाने एवं की गई कार्यवाही से अवगत करवाने का श्रम करें। जिससे समय पर सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाई जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. अँखिलेश सक्सैना)
परियोजना निदेशक

अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय।
सहायक निदेशक (सतर्कता), निदेशालय।
मुख्य अभियंता, निदेशालय।
मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।

क्रमांक :एफ.28( )सां./डीएलबी/सीएमआईएस /2019–2020/5289-93 दिनांक : 12/03/20

IW 070320151 (CAO)

# मुख्य मंत्री कार्यालय
# राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

**विषयः— नगर पालिका नोखा को जलदाय विभाग के बकाया बिजली बिलों के भुगतान हेतु बजट आवंटन करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक श्री कन्हैयालाल झंवर, पूर्व संसदीय सचिव, पता— तिरूपति अपार्टमेंट, कोठारी अस्पताल के पास, बीकानेर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित प्रार्थना—पत्र का अवलोकन करने का श्रम करें।

निर्देशानुसार निवेदन है कि संलग्न प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों का परीक्षण करवाते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर 15 दिवस में तथ्यात्मक टिप्पणी (ss.cmo@rajasthan.gov.in) पर भिजवाने के साथ ही (CMIS portal) पर दर्ज करवाने का श्रम करावें एवं प्रार्थी को भी अपने स्तर से सूचित करावें।

DLB

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

कार्यालय शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, सचिवालय, जयपुर 2947 6/3/20

06/3/20

6/3

(अमित ढाका)
विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री

शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

अशाटीप संख्या : मु.मं. / वि.स.(एडीएच) / एलएसजी / 2020 / 2817
जयपुर, दिनांक : 02/03/2020

ACE(PHE)
12/3/20

**कन्हैयालाल झँवर**
पूर्व संसदीय सचिव
एवं प्रत्याषी विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व

निवास तिरुपति अपार्टमेन्ट,
कोठारी अस्पताल के पास, बीकानेर
मो. नं. 9414140053

मुख्य मंत्री कार्यालय
25 FEB 2020

क्रमांक :–1351

दिनांक :– 22.02.2020

**श्रीमान अशोकजी गहलोत,**
**माननीय मुख्यमंत्री महोदय**
**राज. सरकार जयपुर।**

**महोदयजी,**

आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पूर्व कार्यकाल में जलदाय विभाग नोखा (शहरी क्षेत्र) के संचालन एंव संधारण कार्य हेतु नगर पालिका नोखा को वर्ष 2013 में सुपुर्द किया जाकर नियमित रूप से प्रतिवर्ष अनुदान राशि पालिका को भिजवायी जा रही थी। परन्तु वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए अनुदान राशि अभी तक नगर पालिका को प्राप्त नही हुई है।

LSG यह कि जलदाय विभाग नोखा (शहरी) चालू वर्ष के बिजली बिल करीब 10.00 करोड़ राशि के भुगतान हेतु अनुदान राशि भिजवाने के लिए पालिका द्वारा पत्र भिजवाये जाने पर श्रीमान निदेशक एंव संयुक्त सचिव महोदय के पत्रांक 8651 दिनांक 18.03.2019 द्वारा निर्देश दिये गये है कि बिजली बिलो का भुगतान पालिका में प्राप्त राजस्व राशि से किया जावे एंव संधारण के खर्चो की व्यवस्था अन्य मदो से की जावे। जिसके लिए अधिशाषी अधिकारी को व्यक्तिशः जिम्मेदार ठहराया गया है।

नगर पालिका जलदाय विभाग के बिजली बिल एंव अन्य व्यय का भार वहन करने में सक्षम नही है। उक्त बिजली बिलो की राशि का भुगतान नही होने पर माह फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह में विद्युत विभाग द्वारा ट्युबवैलो के कनेक्शन काट दिये गये थे। जिसके कारण शहर की पानी वितरण व्यवस्था 2–3 दिन तक बाधित रही। पालिका प्रशासन द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियो से व्यक्तिशः निवेदन कर बकाया राशि शीघ्र जमा कराने हेतु आश्वस्त करने पर विद्युत कनेक्शन/सप्लाई पुनः शुरू की गयी। इस प्रकार आगामी माह मार्च 2020 जलदाय विभाग के बिजली बिलो की राशि का भुगतान नही होने पर ट्युबवैलो के विद्युत कनेक्शन काटे जाने की पूर्ण सम्भावना है।

वर्तमान में नगर पालिका की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नही है की वह उक्त बिलो की राशि का पालिका मद से भुगतान कर सके। नगर पालिका को कर्मचारियो के वेतन पैटे 42.00 लाख प्रतिमाह अनुदान प्राप्त होता है परन्तु पालिका द्वारा कर्मचारियों को प्रतिमाह 100.00 लाख का भुगतान किया जाता है तथा पालिका के विकास कार्यो एंव अन्य कार्यो का भी पालिका द्वारा भुगतान किया जाता है। जिसके लिए पालिका द्वारा विभिन्न स्त्रोतो से आय अर्जित कर कार्य किये जा रहे है।

लगातार ..... 2

**कन्हैयालाल झँवर**
पूर्व संसदीय सचिव
एवं प्रत्याषी विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व

निवास तिरुपति अपार्टमेन्ट,
कोठारी अस्पताल के पास, बीकानेर
मो. नं. 9414140053



विधानसभा चुनाव 2018 में मेरे द्वारा समर्थको सहित कांग्रेस पार्टी ज्योईन करने पर मुझे पार्टी द्वारा ''बीकानेर पूर्व'' विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया था। वर्तमान में मेरा पुत्र श्री नारायण झंवर नगर पालिका मण्डल नोखा का अध्यक्ष भी है जिसके कारण उक्त बोर्ड भी कांग्रेस पार्टी का हो गया है तथा राज्य में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की है परन्तु नगर पालिका नोखा के कार्यो में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर सौतेला व्यवहार हो रहा है।

विधायक एवं संसदीय सचिव कार्यकाल वर्ष 2013 के दौरान मेरे द्वारा श्रीमानजी से व्यक्तिशः निवेदन करने पर आप द्वारा बजट घोषणा में नोखा विधानसभा क्षेत्र में 404 करोड़ की नहरी पेयजल योजना स्वीकृत की गयी थी। उक्त योजना की निविदा जारी करके निविदा भी स्वीकृत कर दी गयी थी। अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि की नियुक्ति भी हो चुकी थी। लेकिन दिसम्बर 2013 में भा.ज.पा. सरकार आने पर उक्त योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।

यह कि वर्ष 2018 में नोखा शहरी क्षेत्र में पेयजल हेतु नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए एशियन बैंक की अनुदान राशि से रूडसिको, जयपुर द्वारा 100 करोड़ की योजना (Project) सीटी लेबल कमेटी (C.L.C.) में स्वीकृत करवायी गयी। जिस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नही कर उक्त योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है।

यह कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018–19 में नोखा नगर पालिका निरन्तर टॉप 10 में रही है ओर अपने सभी कार्य समय पर सम्पादित करती आ रही है।

यह कि नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है तथा कांग्रेस की सरकार के समय शहर में पीने के पानी की किल्लत होती है तो जन आक्रोश उत्पन्न होने पर आगामी स्थानीय/निकाय चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है।

अतः आप श्रीमानजी से अनुरोध है कि नगर पालिका नोखा को जलदाय विभाग के बकाया बिजली बिलो के भुगतान हेतु राशि आंवटित करवाने का आदेश सम्बन्धित विभाग को देने का कष्ट करे। ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारू हो सके।

सादर।

भवदीय

24/02/2020

(कन्हैयालाल झंवर)